

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: १०४४ / ख०अनु० / ई-निविदा / 2024-25

दिनांक : 19/12/2024

भण्डारित आर०बी०एम० के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम मायापुर रूपपुर, फैजाबाद तथा रहना में अवैध भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम०, जिसे उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-8 में उल्लिखित अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई-निविदा दिनांक 03.01.2025 से दिनांक 08.01.2025 तक अपरान्ह 5:00 बजे तक वेब-साईट <http://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित की जाती है, जिसके बंद लिंफाफे दिनांक 09.01.2025 को सांय 3:00 बजे तक खनन कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे तथा दिनांक 09.01.2025 को ही सांय 04:00 बजे कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), सहारनपुर के कक्ष में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:-

भण्डारित स्थल का विवरण :-

क्र० सं०	ग्राम / तहसील	ख०न० / रकबा	मात्रा (घ०मी० में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घ०मी०)	सकल धनराशि (4 x 5)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)	RBM की निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मायापुर रूपपुर बेहट	72/2/11 0.922हे०	22,636	550/-	1,24,49,800/-	31,12,450/-	45 दिन
2	फैजाबाद बेहट	1757/0.711हे० 1758/0.750हे०	3,840	550/-	21,12,000/-	5,28,000/-	20 दिन
3		1222/2.2538हे०	8,820	550/-	48,51,000/-	12,12,750/-	30 दिन
4		रहना बेहट	68/1/0.338हे०	2394	550/-	13,16,700/-	3,29,175/-
5		67/1/0.205हे०	7200	550/-	39,60,000/-	9,90,000/-	30 दिन
6		69/1.639हे०	9720	550/-	53,46,000/-	13,36,500/-	30 दिन
7		102/0.697हे०	9982	550/-	54,90,100/-	13,72,525/-	30 दिन
8		96/1म/0.482हे०	2064	550/-	11,35,200/-	2,83,800/-	15 दिन
9		10/6/0.686हे०	4020	550/-	22,11,000/-	5,52,750/-	15 दिन
10		10/7/0.902हे०	3195	550/-	17,57,250/-	4,39,313/-	15 दिन
11		11/3/0.686हे०	1032	550/-	5,67,600/-	1,41,900/-	15 दिन
12		180/5/1.056हे०	1581	550/-	8,69,550/-	2,17,388/-	15 दिन
13		823मि/0.620हे०	1800	550/-	9,90,000/-	2,47,500/-	15 दिन

क्षेत्र का जियो-कॉर्डिनेट्स

क्र०सं०	ग्राम	ख०न० / रकबा	जियो-कॉर्डिनेट्स	
1	मायापुर रूपपुर बेहट	72/2/11 0.922हे०	30° 18' 54.01" N	77° 37' 45.42" E
2	फैजाबाद बेहट	1757/0.711हे०	30° 18' 54.42" N	77° 37' 44.72" E
		1758/0.750हे०		
3		1222/2.2538हे०	30° 19' 09.52" N 30° 19' 12.62" N	77° 38' 00.60" E 77° 38' 00.57" E


4	रहना बेहट	68/1/0.338हे0	30° 20' 48.36'' N	77° 35' 58.02'' E
5		67/1/0.205हे0	30° 20' 48.27'' N	77° 35' 53.77'' E
6		69/1.639हे0	30° 20' 46.29'' N	77° 35' 53.80'' E
7		102/0.697हे0	30° 20' 24.30'' N	77° 35' 50.21'' E
8		96/1म/0.482हे0	30° 20' 30.28'' N	77° 35' 48.39'' E
9		10/6/0.686हे0	30° 20' 28.08'' N	77° 35' 39.47'' E
10		10/7/0.902हे0	30° 20' 30.76'' N	77° 35' 40.22'' E
11		11/3/0.686हे0	30° 20' 18.09'' N	77° 35' 37.65'' E
12		180/5/1.056हे0	30° 19' 56.96'' N	77° 36' 42.34'' E
13		823मि/0.620हे0	30° 19' 50.99'' N	77° 36' 50.55'' E

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की निर्धारित अवधि अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो, की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्नप्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :-
 - निविदाकार का नाम:-
 - निविदाकार के पिता का नाम:-
 - स्थायी पता:-
 - वर्तमान पता:-
 - पेन नं0:-
 - आधार नं0:-
 - ई-मेल आई डी:-
 - मोबाईल नं0
 - पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी/पास पोर्ट/डीएल/विद्युत बिल/बैंक पास बुक/राशन कार्ड)
 - आवेदित क्षेत्र का विवरण - तहसील व ग्राम का नाम :-
 - उपखनिज का नाम :-
 - भण्डारित आर0बी0एम0 की मात्रा:-
 - खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र:-
 - न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम देय होगा।
 - बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :-
 - बैंक का नाम व शाखा :-
 - ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक :-
 - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र-
 - चोरी, तस्करी, अवैध खनन/अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठहराये गये हैं,के सम्बंध में शपथ पत्र-
- ई-निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपखनिज आर0बी0एम0 की मात्रा/स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त ई-निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।
- सर्वोच्च दर के ई-निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल ई-निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (LOI) जारी किया जायेगा। उच्चतम




- ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले ई-निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
6. ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई-निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 7. उक्त ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
 8. उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की अवधि 45 दिन के लिये होगी, अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
 9. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टैण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई-निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0-2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से एक घन्टे पूर्व अर्थात् 3:00 बजे तक जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
 10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी किया जायेगा।
 11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।


(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या- 2088/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।


जिलाधिकारी
सहारनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: २०९४ / ख०अनु० / ई-निविदा / 2024-25

दिनांक : 19/12/2024

भण्डारित आर०बी०एम० के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम मायापुर रूपपुर, फैजाबाद तथा रहना में अवैध भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम०, जिसे उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-8 में उल्लिखित अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई-निविदा दिनांक 03.01.2025 से दिनांक 08.01.2025 तक अपराह्न 5:00 बजे तक वेब-साईट <http://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित की जाती है, जिसके बंद लिफाफे दिनांक 09.01.2025 को सांय 3:00 बजे तक खनन कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे तथा दिनांक 09.01.2025 को ही सांय 04:00 बजे कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), सहारनपुर के कक्ष में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:-

भण्डारित स्थल का विवरण :-

क्र० सं०	ग्राम / तहसील	ख०नं० / रकबा	मात्रा (घ०मी० में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घ०मी०)	सकल धनराशि (4 x 5)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)	RBM की निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मायापुर रूपपुर बेहट	72/2/11 0.922हे०	22,636	550/-	1,24,49,800/-	31,12,450/-	45 दिन
2	फैजाबाद बेहट	1757/0.711हे०	3,840	550/-	21,12,000/-	5,28,000/-	20 दिन
3		1758/0.750हे०	8,820	550/-	48,51,000/-	12,12,750/-	30 दिन
4	रहना बेहट	68/1/0.338हे०	2394	550/-	13,16,700/-	3,29,175/-	15 दिन
5		67/1/0.205हे०	7200	550/-	39,60,000/-	9,90,000/-	30 दिन
6		69/1.639हे०	9720	550/-	53,46,000/-	13,36,500/-	30 दिन
7		102/0.697हे०	9982	550/-	54,90,100/-	13,72,525/-	30 दिन
8		96/1म/0.482हे०	2064	550/-	11,35,200/-	2,83,800/-	15 दिन
9		10/6/0.686हे०	4020	550/-	22,11,000/-	5,52,750/-	15 दिन
10		10/7/0.902हे०	3195	550/-	17,57,250/-	4,39,313/-	15 दिन
11		11/3/0.686हे०	1032	550/-	5,67,600/-	1,41,900/-	15 दिन
12		180/5/1.056हे०	1581	550/-	8,69,550/-	2,17,388/-	15 दिन
13		823मि/0.620हे०	1800	550/-	9,90,000/-	2,47,500/-	15 दिन

क्षेत्र का जियो-कॉर्डिनेट्स

क्र०सं०	ग्राम	ख०नं० / रकबा	जियो-कॉर्डिनेट्स	
1	मायापुर रूपपुर बेहट	72/2/11 0.922हे०	30° 18' 54.01" N	77° 37' 45.42" E
2	फैजाबाद बेहट	1757/0.711हे०	30° 18' 54.42" N	77° 37' 44.72" E
3		1758/0.750हे०	30° 19' 09.52" N	77° 38' 00.60" E

			30° 19' 12.62" N	77° 38' 00.57" E
4	रहना बेहट	68 / 1 / 0.338हे०	30° 20' 48.36" N	77° 35' 58.02" E
5		67 / 1 / 0.205हे०	30° 20' 48.27" N	77° 35' 53.77" E
6		69 / 1.639हे०	30° 20' 46.29" N	77° 35' 53.80" E
7		102 / 0.697हे०	30° 20' 24.30" N	77° 35' 50.21" E
8		96 / 1म / 0.482हे०	30° 20' 30.28" N	77° 35' 48.39" E
9		10 / 6 / 0.686हे०	30° 20' 28.08" N	77° 35' 39.47" E
10		10 / 7 / 0.902हे०	30° 20' 30.76" N	77° 35' 40.22" E
11		11 / 3 / 0.686हे०	30° 20' 18.09" N	77° 35' 37.65" E
12		180 / 5 / 1.056हे०	30° 19' 56.96" N	77° 36' 42.34" E
13		823मि / 0.620हे०	30° 19' 50.99" N	77° 36' 50.55" E

OK
(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या- १०८८ / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
सहारनपुर

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ

पत्रांक १०१०/ख०अनु०/निविदा/2024-25

दिनांक 19/12/2024

विषय:- जनपद सहारनपुर में अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० को ई-निविदा (ई-टेण्डर) के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम मायापुर रूपपुर के ख०नं० 72//2/11/0.922हे०, ग्राम फौजाबाद के ख०नं० 1757/0.711हे०, 1758/0.750हे० तथा 1222/2.2538हे० तथा रहना के खसरा नं० 68/1/0.338हे०, 67/1/0.205हे०, 69/1.639हे०, 102/0.697हे०, 96/1म/0.482हे०, 10/6/0.686हे०, 10/7/0.902हे०, 11/3/0.686हे०, 180/5/1.056हे० तथा 823मि/0.620हे० में भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० की कुल मात्रा 78,224 घ०मी० को ई-निविदा (ई-टेण्डर) से स्वीकृत किये जाने के लिए विज्ञप्ति संख्या ...१०९९ /ख०अनु०/निविदा/2024-25 दिनांक 19.12.2024 की प्रति सी०डी० सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमन्त्रण सूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय, सहारनपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
सहारनपुर

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ

पत्रांक १०१०/ख०अनु०/निविदा/2024-25

दिनांक 19/12/2024

विषय:- जनपद सहारनपुर में अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० को ई-निविदा (ई-टेंडर) के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम मायापुर रूपपुर के ख०नं० 72//2/11/0.922हे०, ग्राम फैजाबाद के ख०नं० 1757/0.711हे०, 1758/0.750हे० तथा 1222/2.2538हे० तथा रहना के खसरा नं० 68/1/0.338हे०, 67/1/0.205हे०, 69/1.639हे०, 102/0.697हे०, 96/1म/0.482हे०, 10/6/0.686हे०, 10/7/0.902हे०, 11/3/0.686हे०, 180/5/1.056हे० तथा 823मि/0.620हे० में भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० की कुल मात्रा 78,224 घ०मी० को ई-निविदा (ई-टेंडर) से स्वीकृत किये जाने के लिए विज्ञप्ति संख्या१०१० /ख०अनु०/निविदा/2024-25 दिनांक 19.12.2024 की प्रति सी०डी० सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमन्त्रण सूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय, सहारनपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।